नैनो यूरिया उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी उपयोगी : श्रेया गुहा

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने सहकार भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल, प्रबंध निदेशक राजफैड उर्मिला राजोरिया, राजफैड के पूर्व अध्यक्ष मांगीलाल डागा, इफको के क्षेत्रीय निदेशक किशन सिंह सहित विभिन्न सहकारी समितियों के अध्यक्ष, व्यवस्थापक उपस्थित थे।

- 'किसान की आमदनी बढ़ाने में कृषि क्षेत्र में नैनो तकनीक को बढ़ावा दिया जाए'
- 'खेती किसानी के लिए वर्ष 2023 में नैनो डीएपी सहकारी समितियों को मिलेगा'

जयपुर, (का.सं.)। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि किसान कृषि कार्यों में यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल करे। नैनो यूरिया उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत उपयोगी है। सहकारी समितियां सहकार जन के माध्यम से नैनो यूरिया के इस्तेमाल एवं इससे होने वाले फायदों के बारे में किसानों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि कृषि एवं सहकारिता विभाग को नैनो यूरिया की जानकारी पहुंचाने के लिए जिला एवं ब्लॉक लेवल पर सम्मेलन करने चाहिए।

गुहा सहकार भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकार सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया किसानों के हित का नया उत्पाद है। जिसका फायदा किसानों के साथ-साथ सहकारी समितियों को भी होगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता का आंदोलन समुदाय को सशक्त करने के लिए हुआ है और केन्द्र में भी नया सहकारिता मंत्रालय बनने और राज्य के भी सहयोग से आने वाले दिनों में सहकारिता को और बल मिलेगा।

कार्यक्रम के अध्यक्ष इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि अगले वर्ष नैनो डीएपी को भी किसानों के हित में उपयोग के लिए लाया जाएगा। भारत सरकार ने इफको के नैनो यूरिया को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि यूरिया का उपयोग कृषि के साथ वातावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए नैनो यूरिया का उपयोग अच्छे परिणाम दे रहा है। आज विज्ञान के क्षेत्र में नैनो तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में भी नैनो तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल एवं उतम स्वास्थ्य के लिए कृषि तकनीक का उपयोग शुरू हुआ है।

रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। नैनो यूरिया सुगम तरीके से खेती के कार्यों में अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता ने कृषि के क्षेत्र में कई परिवर्तन किए है। इसमें नैनो यूरिया के साथ आने वाले समय में नैनो तकनीक के कृषि कार्य में उपयोग बढ़ेगा। इसमें सहकारिता अपनी भूमिका से किसानों की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक राजफैड उर्मिला राजोरिया, राजफैड के पूर्व अध्यक्ष मांगीलाल डागा, इफको के क्षेत्रीय निदेशक किशन सिंह सहित विभिन्न सहकारी समितियों के अध्यक्ष, व्यवस्थापक उपस्थित थे। केन्द्रीय सहकारी बैंक अजमेर के अध्यक्ष मदन मोहन ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश

संविधान दिवस से पूर्व बनकर तैयार हो जाएं संविधान पार्क : राज्यपाल

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप अद्यतन और एक समान विषयवार पाठ्यक्रम 30 अक्टूबर तक तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए राजभवन स्तर से समन्वय स्थापित कर विभिन्न विषयों के अनुसार विश्वविद्यालय कुलपतियों के समूह बनाकर समयबद्ध रूप से पाठ्यक्रम युगानुकूल करने का कार्य किया जाए।

राज्यपाल मिश्र शुक्रवार को यहां राजभवन में प्रदेश के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की 'कुलपति संवाद' बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) और क्रेडिट ट्रांसफर सहित नई शिक्षा नीति को समग्र रूप में लागू करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को पूरी गंभीरता से प्रयास करने होंगे।

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क आगामी संविधान दिवस (26 नवम्बर) से पूर्व ही बनकर तैयार हो जाने चाहिए। उन्होंने कुछ विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क के निर्माण में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्यकारी एजेंसी आरएसआरडीसी से बात करने के निर्देश भी दिए।

कुलाधिपति ने कहा कि जिन विश्वविद्यालयों का रेडक्रॉस से अनुबन्ध हो चुका है, वे अपने यहां विद्यार्थियों की रेडक्रॉस गतिविधियों से जुड़े प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करवाएं। साथ ही, शेष विश्वविद्यालय भी रेडक्रॉस से जल्द अनुबंध कर विद्यार्थियों को इससे ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों के गोद लिए गांवों में विद्यार्थियों की गतिविधियां बढ़ाए जाने का भी आव्हान किया। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जगाने में मदद मिलेगी।

मिश्र ने इस दौरान महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी) को प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता के लिए कुलाधिपति सम्मान प्रदान किया। राज्यपाल की पहल पर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षिक उत्कृष्टता और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से नवम्बर 2019 में कुलाधिपति सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी।

श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेन्द्र सिंह कालवी की तबियत में सुधार

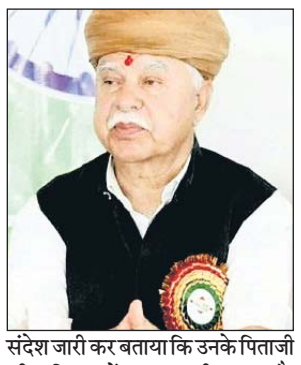

- गत 11 जून को लकवे और ब्रेन स्टोक के कारण सवाई मानसिंह अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन

जयपुर (कासं)। श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी की तबीयत में अब तेजी से सुधार हो रहा है, उन्हें 21 जून को होश आ गया है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटीलेटर पर ऑब्जर्वेशन में रखा हैं। ज्ञात रहे कि लोकेन्द्र सिंह कालवी को गत 11 जून को पैरालिसिस अटैक (लकवे) और ब्रेन स्टोक की शिकायत थी। इस पर उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जन विभाग के डॉक्टर्स की देखरेख में उनका ऑपरेशन किया गया और अब उपचार चल रहा है। यह जानकारी उनके छोटे बेटे प्रताप सिंह कालवी ने दी है।

प्रताप सिंह कालवी ने वीडियो संदेश जारी कर बताया कि उनके पिताजी की तबियत में अब काफी सुधार है। डॉक्टर्स ने तबियत खतरे से बाहर बताई है। 21 जून को उन्हें होश आ गया था, तब से वे काफी ठीक है। शरीर के दाहिने हिस्से में लकवे और ब्रेन स्ट्रोक के कारण फिलहाल बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी रिकवरी बहुत तेजी से हो रही हैं। फिलहाल उन्हें मेडिकल आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में वेंटीलेटर पर रखा गया है, अगले एक हफ्ते में अस्पताल से छुट्टी देने की बात की जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ लगातार एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुधीर भंडारी और प्रताप सिंह से फोन पर बातचीत करके लोकेन्द्र सिंह कालवी के स्वास्थ्य और उपचार के बारे में जानकारी ले रहे है। प्रताप सिंह ने कहा कि श्री राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी और सर्व समाज के लोग लगातार हवन-यज्ञ, पूजा-पाठ करके उनके पिता लोकेंद्र सिंह कालवी के उत्तम स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे है। सभी लोगों की प्रार्थनाओं और डॉक्टर्स की मेहनत का असर ही हैं कि उनकी तबीयत तेजी से सुधर रही है।

बैटरी चलित वाहनों के पंजीयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

जयपुर, (का.सं.)। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बैटरी चलित वाहनों के पंजीयन के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने समस्त पंजीयन अधिकारियों एवं प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बैटरी चलित दोपहिया श्रेणी के वाहन विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूर्ण जांच की जाए कि वे वाहन मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त होने योग्य हैं।

परिवहन आयुक्त ने सभी पंजीयन और प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया कि जांच के दौरान वाहनों के मानदंडों में अंतर पाए जाने पर वाहन विक्रेताओं के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर यान नियम, 1989 एवं भारतीय दंड संहिता के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाए। परिवहन आयुक्त ने बताया कि कुछ बैटरी चलित दोपहिया वाहन निर्माता या विक्रेता वाहन को मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त रखे जाने वाले मानदंडों को दर्शा रहे हैं ताकि इन्हें पंजीयन के दायरे से बाहर रखा जाए, जबकि इन वाहनों की गति, बैटरी क्षमता, विद्युत मोटर क्षमता और वाहन का भार वास्तविक रूप से कहीं अधिक होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना अपराध है और अपराध प्रमाणित होने पर वाहन निर्माता के विरूद्ध एक वर्ष तक के कारावास या एक अरब रूपये तक का जुर्माना या दोनों और वाहन विक्रेता के विरूद्ध एक वर्ष तक के कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

वे बैटरी चालित वाहन जो मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त हैं उनमें ऐसे वाहन जिनकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो, जिनमें 0.25 किलोवाट से कम की 30 मिनट शक्ति वाली विद्युत मोटर लगी हो, वाहन का वजन 60 किलोग्राम से अधिक ना हो (बैटरी का वजन अलग), व वाहन पर ब्रेक लगे हों और आगे एक सफेद एवं पीछे लाल रेट्रोरिफ्लेक्टर लगा हो।

प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा

जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना के क्रम मे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित होने वाली 28 जून से 30 जून को प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2022 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को साधारण एवं एक्सप्रेस बसों मे परीक्षा केन्द्र आने तथा वापस जाने के लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान की गई है।

राजस्थान रोडवेज मुख्यालय से सभी मुख्य प्रबन्धको को पाबन्द किया गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित होने वाली 28 से 30 जून को प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को आने व जाने की सुविधा प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त आई.डी. के आधार पर एक दिवस पूर्व एवं परीक्षा के एक दिवस बाद के लिये निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करावें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhbarajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-8/929 दिनांक-20.6.2022

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 117/467, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 72.00 वर्ग मीटर /वर्ग गज का आवटन श्री मोहन गुरनानी पुत्र श्री साधूराम गुरनानी को किया गया था। जिसका आवटन पत्र क्रमांक 2016 दिनांक 25.01.1988 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 24.2.88 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 2713 दिनांक 13.3.2009 के द्वारा श्री मोहन गुरनानी पुत्र श्री साधूराम गुरनानी के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर में दिनांक 17.01.2011 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री मोहन गुरनानी की मृत्यु दिनांक 20.10.2021 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती धन्नी देवी गुरनानी पत्नी स्व.श्री मोहन गुरनानी ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती धन्नी देवी गुरनानी पत्नी स्व.श्री मोहन गुरनानी के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती धन्नी देवी गुरनानी पत्नी स्व. श्री मोहन गुरनानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त द्वितीय, जयपुर

इत्तलानामा बनाम रेस्पाडेन्ट
न्यायालय राजस्थान राज्य सहकारी न्यायाधीकरण, जयपुर राजस्थान
अपील नम्बरी मुतफरिक या इजराय 19/15
डिग्री नं.....सन्.....
बिनाराजी तजबीज.....
अदालत मुकाम..... मुकाम.....
मवरिखा.....सन्.....
कंवरपाल जैन.....अपीलान्ट
बनाम
पंच निर्णायक एवं निरीक्षक व अन्य
बनाम
(3) अनिक कुमार जैन पुत्र श्री उम्मेदमल जैन, जाति जैन, मकान नम्बर 313, ब्रहम्पुरी, जयपुर।
(4) अमर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी-प्लाट नम्बर 367, खातीपुरा, जसवन्त नगर, जयपुर
मुत्तिला हो कि अपील बिनाराजी डिग्री व तारीख..... इस मुकद्दमें में ने पेश किया और इस अदालत की तजबीज 15 माह 07 सन् 2022 ई. वास्ते समाअत इस अपील के मुकर्रर की गई है अगर खुद आप या आपके वकील या कोई और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जवाब व सवालात करने का माजज हो हाजिर न आवेगा तो उसकी समाअत और की जायगी।
आज तारीख 23 माह 06 सन् 22 ई. मेरे दस्तखत और मोहर आदालत से जारी किया।
मोहर सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान राज्य सहकारी अधिकारी न्यायालय परिसर बनीपार्क, जयपुर

आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को कारावास

जयपुर। जिले के सत्र न्यायालय ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति कमल कुमार उर्फ कमलेश रैगर को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह जेल में अतिरिक्त काटने होंगे।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने अदालत को बताया कि 20 मई 2019 को मोहनलाल रैगर ने आईसी थाना, जमवारामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसकी छोटी बहन सुनीता की शादी करीब बीस साल पहले केला का बास निवासी कमलेश के साथ हुई थी। शादी के बाद अभियुक्त और उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। दो दिन पहले अभियुक्त के ताऊ के लड़के के विवाह समारोह के दौरान अभियुक्त ने परिवादी के साथ मारपीट की और सुनीता को जान से मारने की कोशिश की। इस पर अभियुक्त ने सुनीता को पीहर पक्ष के लोगों से मिलने पर मारने की धमकी दी। रिपोर्ट में कहा कि अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर सुनीता के मरने की जानकारी दी। इस पर पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे। जहां पता चला कि सुनीता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश था इसीलिए बार-बार लूटा गया : पाठक

- हर व्यक्ति के लिए उसका जीवन आईना है : जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास

जयपुर, (का.सं.)। भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश रहा है, यहां की संस्कृति, खान-पान, यहां का खगोल, गणित, आयुष, दर्शन सभी मायनों में भारत के मुकाबले दुनिया में दूसरा देश नहीं था इसीलिए इस देश को आक्रांताओं ने बार-बार लूटा। ग़रीब और संस्कृति विहीन देश पर तो किसी ने आक्रमण नहीं किया। यह कहना था भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के.के पाठक का। वो शुक्रवार को झालाना स्थित अकादमी संकुल में शुरू हुए तीन दिवसीय संस्कार संस्कृति शिविर के उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

अकादमी संकुल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी एवं करुणा संस्थान के संयुक्त तत्त्वावधान में 24 से 26 जून तक तीन दिवसीय संस्कार - संस्कृति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में कक्षा 10 से स्नातक तक सरकारी/निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस मौके आई.ए.एस के.के पाठक के बाद जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और संस्कृतिविद् पंकज ओझा ने भी विचार रखे।

के. के पाठक ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिन्दु धर्म नहीं है ये एक संस्कृति है। 'बहु संस्कृति वाद' का भाव केवल हिन्दु धर्म में ही समाहित है।

जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने अपने उद्बोधन में राष्ट्र, समाज और परिवार विषय पर अपने विचार रखते हुए कई रोचक उदाहरणों से कर्तव्य की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। पिता से कोई काम करने की सलाह मांगने पर उन्होंने कहा कि घर के बाहर जो मोची है उसके पास तू भी एक दुकान लगा ले और उस जैसा बन क्योंकि वो बेहतरीन पॉलिश करता है इसलिए उसके यहां पॉलिश के लिए लोग दो-दो दिन की प्रतीक्षा करते हैं। व्यास ने कहा कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि इनसान कोई भी काम करे उसे अपने काम में माहिर होना चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन उसका दर्पण होता है जिसमें झांककर वो खुद का विश्लेषण कर सकता है।

नागौर जिले में करोना संक्रमित मरीज की मौत

- शुक्रवार को प्रदेश में 120 नए रोगी मिले, इनमें सबसे ज्यादा 56 मरीज जयपुर में सामने आये हैं

जयपुर (कासं)। राज्य के नागौर जिले में शुक्रवार को एक करोना संक्रमित रोगी की मौत हुई है। जबकि 14 जिलों में 120 नए रोगी मिले है और 85 मरीज इस बीमारी से रिकवर हुए है। अब प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 785 हो चुके है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में विगत दिनों के मुकाबले कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश में जहां 120 नए संक्रमित मिले हैं। जयपुर जिले में भी इस दिन 56 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। हालांकि यहां इस दिन 37 कोरोना मरीज ठीक हुए है। और अब जयपुर में 317 एक्टिव केस हो गए हैं। जयपुर के अलावा जोधपुर जिले में 17, उदयपुर में 9, अजमेर में 7, बीकानेर में 6, चूरू में 5, भीलवाड़ा, नागौर और दौसा में 3-3, बाड़मेर और गंगानगर में 2-2 तथा बारां और सिरोही में एक-एक संक्रमित मिला है।

जयपुर जिले में शुक्रवार को वैशाली नगर और मानसरोवर में 7-7, जगतपुरा और मालवीय नगर में 5-5, चांदपोल और जवाहर नगर में 3-3, आदर्श नगर, बापू नगर, बरकत नगर, सिविल लाइन्स, दुर्गापुरा, सांगानेर, सोडाला और तिलक नगर में 2-2 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा अजमेर रोड, बजाज नगर, गोविन्दगढ़, सी स्कीम, घाट गेट, जामडोली, जौहरी बाजार, कोटपूतली, सांभर में एक-एक संक्रमित मिले हैं। जबकि एक संक्रमित का गलत पता लिखाया गया है।

खोया पाया

मेरे प्लॉट नं. सी-63, श्याम नगर जोन 5 के मूल दस्तावेजों की फाईल जिसमें जेडीए पट्टा, रजिस्ट्री व अन्य कागजात थे वैशाली नगर में कहीं खो गयी है। मिलने पर सूचित करें। दुर्गा पंवार 9829128664

मेरे फ्लैट ए-703, रामाकृष्णा अपार्टमेन्ट मानसरोवर जयपुर के सन्दर्भ में मेरा अलॉटमेन्ट लेटर नं.3305 दिनांक 9/3/2011, रिवाईज अलॉटमेन्ट लेटर दिनांक 15/9/2011, पजेशन लेटर नं.183 दिनांक 11/5/2011, फ्लैट सुपुर्दगी पत्र दिनांक 20/5/2011 एवं नो ड्यूज सर्टिफिकेट नं. 58/407 दिनांक 10/5/2011 खो गये है। सूचित करें-जगेन्द्र सिंह राठौड़ 9887099169

मेरे आवास संख्या 6/एमबी/13 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र व सेवन डेज पत्र कहीं खो गये है। यदि किसी को मिले तो निम्न नम्बरों पर सूचित करें। मो.-9351435500

आम सूचना हम डॉ.मोहम्मद सिराज पुत्र मरहूम अब्दुल सत्तार एवं श्रीमती शाहिना परवेज पत्नि डॉ.मोहम्मद सिराज निवासी डी-35 रामनगर शास्त्रीनगर जयपुर सर्वसाधारण को सूचित करते हैं कि हम एक अचल संपत्ति प्लाट नंबर डी-36 रामनगर, शास्त्रीनगर जयपुर को उसके स्वामी अब्दुल हफीज पुत्र मुनीर मोहम्मद से क्रय कर रहे हैं। इस संपत्ति का नीलामी पुष्टि पत्र 1976 जोकि किशनचन्द मोहनानी के नाम जारी हुआ था, वह पत्र गुम हो गया है। हम इस संपत्ति पर एस.बी.आई.आमेर ब्रांच कोड 31034 से ऋण ले रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति, संस्था को आपत्ति हो तो हमसे ओर एस.बी.आई.आमेर ब्रांच कोड 31034 से 15 दिवस के भीतर सम्पर्क करे। (डॉ.मोहम्मद सिराज) मो.9414269647

आम सूचना
बाबा आर. गोड ग्रह निर्माण स. समिति की योजना देव विहार बक्सावाला में प्लाट नं. 96 एरिया 150 वर्गगज मैंने भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल के नाम से आवंटन पत्र लिया था जिसकी रसीद संख्या 30340/01.04.1998 को किया था वह चोरी हो गया है। किसी को मिले तो जमा करवा दें। भवदीय
(अनीता स्वर्णकार) मो. नं.- 8104146747

आम सूचना हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य श्री पदम कुमार काला पुत्र स्वर्गीय श्री विमल चन्द जैन, अपना मकान नम्बर 499, बोरडी का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर 302003 को बेचान अर्थात विक्रय कर रहा है, जिस किसी को उक्त मकान को बेचने में किसी भी प्रकार की आपत्ति या उज्र हो तो विज्ञपति जारी होने के 15 दिवस में अपनी अपनी आपत्ति मय सबूत निम्नहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय समय 5 पी.एम.से 8 पी.एम. तक प्रस्तुत करे बाद मियाद मेरा अभिभाष्य उक्त मकान मय तामीरात का विक्रय करने को स्वतन्त्र रहेगा अर्थात बाद मियाद कोई आपत्ति या आक्षेप मान्य नहीं होगी ना ही ऐसे आक्षेप से बाध्य ही होगें। सूचित रहे।
यश शर्मा, एफ-26 घीया मार्ग, बनीपार्क जयपुर, मो.नं. 9660656565

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम कंचन हरप्लानी पत्नी श्री सुरेश हरप्लानी निवासी डी-76/206, घीया मार्ग, बनीपार्क से बदलकर सीमा हरप्लानी रख लिया है। भविष्य में मुझे सीमा हरप्लानी के नाम से जाना जावें।

I have changed my name from Pooja Khubani to Pooja Teckchandani Therefore I will be known or distinguished in public by new name of Pooja Teckchandani Add.: 18, Mansukh 3rd Floor Near D.C.M. Heera Nagar Ajmer Road, Jaipur.

कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर
क्र.- एफ-6( )उपा.राज.-द्वि/ (मा.प्र.)/नगिज/2022/1110 दिनांक-24.06.2022
सार्वजनिक सूचना
मूल भूखण्ड संख्या 130, आदर्श नगर जयपुर का पर्नयास विभाग, जयपुर द्वारा श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री नरसिंह दास के नाम से श्रेत्रफल 266.66 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया था। श्रीमती शान्ति देवी उक्त फ्लैट को पत्नु उपरान्त श्रीमती शान्ति मदान पत्नी स्व. श्री नरसिंह दास उक्त भूखण्ड में से अपना अविभाजित 1/5 हिस्सा का मुख्त्यारनामा आम श्रीमती वीना संटी पत्नी श्री विनोद कुमार संटी को नियुक्त किया। श्री महेन्द्र कुमार संटी पुत्र स्व. श्री नरसिंह दास उक्त भूखण्ड में से अपना अविभाजित 1/5 हिस्सा का मुख्त्यारनामा आम श्रीमती वीना संटी पत्नी श्री विनोद कुमार संटी को नियुक्त किया। श्रीमती सुदेश लखेरा पुत्री स्व. श्री नरसिंह दास उक्त भूखण्ड में से अपना अविभाजित 1/5 हिस्सा का मुख्त्यारनामा आम श्रीमती वीना संटी पत्नी श्री विनोद कुमार संटी को नियुक्त किया। श्रीमती वीना संटी पत्नी श्री विनोद कुमार संटी को कंसियस मुख्त्यार आम 1. श्री महेन्द्र कुमार संटी 2. श्रीमती शान्ति मदान 3. श्रीमती सुदेश लखेरा द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 130, गुरूनानकपुरा, जयपुर में से अपना-अपना अविभाजित हिस्सा श्री विनोद कुमार संटी के पक्ष पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र को, रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र,Relinquishment Deed, अपडटर्ड़किंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्री विनोद कुमार संटी पुत्र स्व. श्री एन.डी.संटी के पक्ष में क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का पट्टा जारी किया जाता है। इस पट्टा जारी किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी
उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास)
(आयोजना-प्रथम प्रकोष्ठ)
क्रमांकः एफ-13 ()उपा.आयो. दिनांक 21/6/2022
प्रथम/नगिज./2022/ 800
-: सार्वजनिक सूचना :-
विषयः- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 (3) एवं राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 के नियम 4 (1) भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2021 के अन्तर्गत आपत्तियां/सुझाव करने हेतु विज्ञप्ति।
नगर निगम, जयपुर में निम्न वर्णित भूखण्ड धारक में कॉलम 4 में वर्णित मास्टर प्लान विकास योजना 2025 (जयपुर रीजन), आवासीय में निर्धारित भू-उपयोग का कॉलम 5 में वर्णित आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग हेतु आवेदन किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है-

क्र.सं.	आवेदक का नाम, भूखण्ड संख्या योजना का नाम	आवंटित आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल	मास्टर विकास योजना 2025 (जयपुर रीजन) में निर्धारित उपयोग	आवेदक द्वारा चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5
1	श्री गोवर्धन प्रसाद सिंघल भू.सं.ओ-21-बी, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	1080.86 व.ग.	व्यावसायिक	व्यावसायिक

यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त केसम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो इस सूचना के जारी होने की तिथि से 15 दिन की अवधि तक अपनी आपत्ति/सुझाव कारणों सहित नगर निगम जयपुर, हैरिटेज के आयोजना शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं।
(अवधेश मीना) आयुक्त
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 के नियम 14)
नाम न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम-6 स्थान जयपुर महानगर प्रथम
मोहम्मद आजम खां विरूद्ध
नगर निगम जयपुर व अन्य
दीवानी विविध अपील सीएमए
अपील नं. 10/2017
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम-3, जयपुर महानगर जयपुर के न्यायालय की तारीख 11.09.2017 के आदेश की अपील पेशी 01.7.2022
1. वसीम खान पुत्र आबिद, जाति मुसलमान, निवासी-मकान नं. 3646, चौकडी तोपखाना हुजुरी, बंजारा वस्तर, जयपुर
2. मोहम्मद शब्बीर पुत्र शहजाद खां, जाति मुसलमान, निवासी -ए-3636, मस्जिद नदफाफन के पास, बाबू का टीबा, चौकडी तोपखाना हुजूरी, जयपुर ।
आपको सूचना दी जाती है कि इस